Sixteenth Loksabha

an>

Title: Need to provide reservation to Other Backward Classes in direct recruitment to the post of Professors and Associate Professors in Universities.

श्री लक्ष्मी नारायण यादव (सागर): देश में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है, ताकि इन वर्गों के लोगों को शासकीय सेवाओं में नौकरियां मिल सके ।

वर्तमान भारत सरकार इस आरक्षण को जारी रखने के लिये प्रतिबद्ध है। इसमें प्रमोशन को छोड़कर सीधी भर्ती की प्रत्येक नौकरी में आरक्षण देना अनिवार्य है, परन्तु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 3 जून, 2016 के अपने आदेश में एस.सी.एस.टी. को प्रोफेसर एवं एसोसिएट्स प्रोफेसर पद के लिए सीधी भर्ती में आरक्षण देने का निर्देश सभी विश्वविद्यालय को दिया है तथा उसी आदेश में अन्य पिछड़े वर्गों को प्रोफेसर तथा एसोसिएट्स प्रोफेसर की सीधी भर्ती में वंचित कर दिया है । यह आरक्षण को नकारने का कार्य है तथा सरकार की घोषित नीति के प्रतिकूल है ।

अत: शासन इसमें दखल देकर इस आदेश को संशोधित कराये ।